



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE
INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour &
Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय/ REGIONAL
OFFICE,
पंचदीप भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर-
208005
PANCHDEEP BHAWAN,
SARVODAYA NAGAR, KANPUR-
208005
Phone: 0512-2217957
Email: rd-up@esic.nic.in

पत्र सं. 21-ए-22/15/23/2019-स्था./पार्टफाइल

दिनांक – 02-05-2025

कार्यालय आदेश सं. 41 वर्ष 2025

सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश दिए गए हैं कि सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (विधि), शाखा कार्यालय, प्रयागराज के अवकाश/दौरे/ प्रशिक्षण पर होने की स्थिति में उनकी अनुपस्थिति की अवधि में शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, प्रयागराज अपने वर्तमान कार्यों के अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (विधि), शाखा कार्यालय, प्रयागराज का भी कार्य करेंगे। विधि संबंधी कार्य संपादित करने हेतु नियमानुसार टी0ए0/ डी0ए0 देय होगा।

इसके साथ ही सक्षम अधिकारी द्वारा आदेशित किया गया है कि श्री रौशल कुमार, एम.टी.एस. (तैनाती स्थान- निजी सचिव अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर) के दि. 09.05.25 तक अवकाश पर होने के कारण श्री रौशल कुमार, एम.टी.एस. के अवकाश से वापस आने तक श्री शार्दूल आदित्य, एम.टी.एस., कर्मचारी सं. 191983 (तैनाती स्थान- राजस्व शाखा-1, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर) अपने वर्तमान कार्यों के अतिरिक्त निजी सचिव अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर में भी कार्य करेंगे।

(अनिता सुरेश)

उप निदेशक (स्थापना-1)

प्रतिलिपि-

1. संबंधित कर्मचारी ।
2. क्षेत्रीय निदेशक महोदय के निजी सचिव, निजी सचिव अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
3. शाखा प्रबंधक/ सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (विधि), शाखा कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
4. शाखाधिकारी, वित्त एवं लेखा / रोकड़ / स्थापना-111 / सतर्कता /राजभाषा /आई.टी. / राजस्व -11 / विधि शाखा ,क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
5. शाखाधिकारी, राजभाषा शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस कार्यालय आदेश का अंग्रेजी में अनुवाद करायें ।
6. शाखाधिकारी, आई.टी. शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस कार्यालय आदेश को के.का., कानपुर की वेबसाइट पर अपलोड करायें ।
7. नोडल अधिकारी, ई-आफिस, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
8. कार्यालय आदेश पुस्तिका ।